

आरटीआई/स्पीड पोस्ट

फा. सं. ए-50011/2/2015/मासिक-1 2478

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 21 अगस्त, 2015

सेवार्थ,

श्रीमती कबूली  
वार्ड नं. 33, मौहल्ला लखवाया  
राहटा रोड बाईपास, थाना - कंकरजेडा,  
मेरठ - 250005

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना ।

महोदया,

उपर्युक्त विषय में आपके पत्र दिनांक 29.06.2015 के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है आपके उक्त पत्र के बिंदु संख्या 3 की सूचना मानव संसाधन विकास अनुभाग-1 से संबंधित है जो कि व्यक्तिगत सूचना है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 8 (जे) के तहत यह सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।

2. यदि आप उक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के भाग 19 (1) के तहत आप निम्नलिखित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकती हैं।

श्री जे.एम. गुप्ता, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं  
संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

भवदीय

निर्मल कुमार  
(निर्मल कुमार)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं  
उप विदेश व्यापार महानिदेशक  
ई-मेल : [nirmal.kumar65@nic.in](mailto:nirmal.kumar65@nic.in)  
टेलीफोन : 011-23063918

प्रतिलिपि:-

1. रोकड़ अनुभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को आरटीआई प्रार्थना पत्र के बिंदु सं. 1 व 2 पर आवश्यक कार्यवाही हेतु (संलग्न - आरटीआई प्रार्थना पत्र)।
2. आरटीआई सेल, विदेश व्यापार महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
3. ईटीआई अनुभाग, महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।